अध्याय-II

अध्याय - II

2. सरकारी कंपनी का निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (झा.रा.ख.वि.नि.) का कार्यचालन

कार्यकारी सारांश

परिचय

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को बिहार राज्य के बंटवारे के उपरान्त मई 2002 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कंपनी के मुख्य उद्देश्य राज्य में खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खानों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, विकास, प्रशासन, प्रबन्धन एवं नियंत्रण और खनिजों के प्रसंस्करण या इसके बिना विक्रय है।

(कंडिका 2.1)

वित्तीय स्थिति

कंपनी ने दिसम्बर 2014 तक वर्ष 2009-10 से 2013-14 के वार्षिक लेखे को अंतिमीकृत नहीं की है। कार्यचालन परिणामों के अनुसार, कंपनी 2009-10 में ₹ 29.35 करोड़ का लाभ अर्जित की जिसमें 2010-11 से गिरावट हुई और यह सिकनी कोयला खान जोकि कंपनी का एक मात्र परिचालित कोयला खान था, में उत्पादन नहीं होने के कारण घटकर 2013-14 में ₹ 2.15 करोड़ हो गया।

(कंडिका 2.6)

कोयला खनन एवं व्यापारिक गतिविधियां

कोयला मंत्रालय (को.मं.), भारत सरकार (भा.स.) ने 1987 में सिकनी कोयला खान का आबंटन किया और जगलदगा कोयला खान कोल इंडिया लिमिटेड से 1996 में हस्तांतरित किया गया था। कोयला मंत्रालय ने पुन: 2006-2008 के दौरान, कंपनी को आठ कोयला ब्लॉक सरकारी कंपनी व्यवस्था (डिस्पेंसेसन) के अंतर्गत आबंटित किया।

(कंडिका 2.8)

कोयला खानों का अपरिचालन

सिकनी कोयला खान अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2011 की अवधि तक परिचालन में था तत्पश्चात खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) के द्वारा कोयला खान विनियमों के उल्लंघन के कारण कोयला खनन को रोक दिया गया। जगलदगा कोयला खान में कोयले का खनन वन अनापत्ति के अभाव में प्रारंभ नहीं हो पाया।

(कंडिकाएं 2.9 एवं 2.12)

आठ कोयला ब्लॉकों में खनन कार्य प्रारंभ नहीं होना।

कंपनी सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आंबटित आठ कोयला ब्लॉकों के विकास एवं उत्खनन प्रारंभ करने में विफल रही। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 24

सितम्बर 2014 को इन कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया गया और कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किये गये ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण खर्च निरर्थक हो गया।

(कंडिका 2.11)

कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयले का आबंटन न करना

2009-10 से 2013-14 की अवधि में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंपनी को 279252 मेट्रिक टन (एमटी) कोयले का आबंटन संबंधित वर्षों में ईंधन आपूर्ति अनुबंध के संपादन में विलम्ब होने के कारण नहीं किया गया। परिणामस्वरुप, कंपनी उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण नहीं कर सकी इस कारण से ₹ 2.16 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 2.13)

खनिज खनन एवं अन्य गतिविधियां

खानों का अपरिचालन

कंपनी के पास चुना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर तथा ग्रेनाइट के नौ पट्टाधारित खानें थे। इनमें से, पाँच खानों के खनन योजनाएँ अनुमोदित थी, वन अनापत्ति मात्र एक खान के लिए का प्राप्त था और किसी भी खान के लिए पर्यावरण अनापत्ति एवं झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं था।

वैधानिक अनापत्तियाँ के अभाव में चार खानों में खनन परिचालन 2012-13 में बंद हो गयी। अन्य चार खानें 14 वर्षों से अधिक समय से अपरिचालित थी। चेलांगी ग्रेनाइट खान एक मात्र खनिज खान था जो दिसम्बर 2014 तक परिचालन में था।

(कंडिका 2.14 ,2.16, 2.19, 2.20 एवं 2.22)

अपरिचालित ग्रांइडिंग फैक्टरी पर निष्क्रिय व्यय

कंपनी अपने ग्रांइडिंग फैक्टरी को चुना पत्थर चूर्ण के उत्पादन हेतु अपेक्षित मात्रा में चुना पत्थर टुकडों के आपूर्ति सुनिश्चित करने में असफल रही परिणामत: ₹ 40.04 लाख की हानि हुई। कंपनी राजस्व अर्जन हेतु आधारभूत संरचना के उपयोग में भी विफल रही तथा ₹ 87.80 लाख का निष्क्रिय व्यय किया ।

(कंडिका 2.17)

चुना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट और ग्रेनाइट के उत्पादन में कमी

2009-14 के दौरान खानों के परिचालन अवधि में विभिन्न खनिजों के उत्पादन में कमी उत्पादन लक्ष्य का 45.90 प्रतिशत से 95.72 प्रतिशत के मध्य रहा। चेलांगी खान से ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन में कमी 95.72 प्रतिशत थी जो तुपुदाना ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट के अल्प निष्पादन का कारण बना।

(कंडिकाएं 2.21 एवं 2.23)

ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट का अल्प उपयोग

प्लांट 2007-2010 के दौरान ग्रेनाइट ब्लॉकों की अनुपलब्धता के कारण अपरिचालित रही। 2011-12 से 2013-14 के वर्षों के दौरान ग्रेनाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन, क्षमता का मात्र 7.97 प्रतिशत से 30.12 प्रतिशत तक था। इस प्रकार, प्लांट अल्प उपयोग में रही।

(कंडिका 2.24)

वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करना तथा खनिजों में कमी

कंपनी ने मई 2010 से खनिजों के स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया तथा पिछले भौतिक सत्यापन में पाई गई भारी कमी के लिए सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

(कंडिका 2.26)

नियत लगान का परिहार्य भुगतान

खानों के परिचालन हेतु वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने में विफलता के कारण 2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी द्वारा ₹ 99.83 लाख का परिहार्य नियत लगान भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.27)

आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियाँ

कंपनी ने 2009-10 के बाद परियोजनावार लागत-पत्र नहीं बनायी तथा कोई व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस.) भी नहीं बनायी। कंपनी का खानों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्तकता तथा अनुश्रवण प्रणाली नहीं है। कंपनी का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था तथा आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं बनाया था ।

(कंडिका 2.28)

2.1 प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) को बिहार राज्य के बंटवारे के उपरान्त मई 2002 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया। कंपनी को झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.ख.वि.नि.) के सभी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसके निगमन की तिथि पर हस्तांतरित किया गया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य राज्य के अन्दर खनन पट्टा प्राप्त करने के बाद खानों के अन्वेषण, पूर्वेक्षण, विकास, प्रशासन, प्रबंधन तथा नियंत्रण और प्रसंस्करण या इसके बिना विक्रय करना है।

बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा दो कोयला खानें यथा सिकनी एवं जगलदगा मई 2002 में कंपनी के निगमन के समय हस्तांतरित किया गया था। सिकनी कोयला खान परिचालन में था। इसके अलावा, कोयला मंत्रालय (को.मं.), भारत सरकार (भा.स.) ने

2006-08 के दौरान आठ[1] कोयला ब्लॉकों का आबंटन सरकारी वितरण मार्ग[2] के तहत किया। इन आठ कोयला ब्लॉकों का आबंटन उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया (सितम्बर 2014) जो कंडिका 2.11 में विवेचित है। कंपनी नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 के तहत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा आबंटित कोयले को राज्य के लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वितरण भी कर रही थी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर और ग्रेनाइट के नौ[3] पट्टाधारित खानें थे। इनमें से, चार[4] खानें 2012-13 तक विभिन्न अवधियों में संचालित थीं तथा केवल एक खान (चेलांगी ग्रेनाइट खान) दिसम्बर 2014 तक संचालन में थी। शेष चार[5] खानें 14 वर्षों से अधिक समय से परिचालन में नहीं थी। कंपनी प्लांट का भी परिचालन ग्रेनाइट टाइल्स (तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट) और चूना पत्थर चूर्ण (सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी) के उत्पादन के लिये कर रही थी।

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

कंपनी खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। प्रबंध निदेशक ही एकमात्र पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सहित सात निदेशक हैं। प्रबंध निदेशक को प्रतिदिन के कार्यों के लिये महाप्रबंधक (वित्त) और महाप्रबंधक (खान) द्वारा सहायता किया जाता है। कंपनी के एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव भी है। कंपनी के संगठानात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट-2.1*** में दिया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के थे कि:

- आबंटित कोयला ब्लॉकों एवं अन्य खनिज खानों के विकास मितव्ययी, कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से किया गया था और वैधानिक अनापत्तियाँ समय पर प्राप्त किये गये थे;
- खनिजों और खनिज उत्पादकों के उत्पादन एवं विक्रय मितव्ययी, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किये गये थे; और

---

[1] (i) सुगिया, (ii) राउता, (iii) बुढ़ाखाप (iv) लातेहार, (v) पिन्डरा देवीपुर, (vi) पतरातू (vii) रबोध और (viii) जागेश्वर एवं खास जागेश्वर।

[2] सरकारी व्यवस्था मार्ग के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों का आवंटन कोयला मंत्रालय द्वारा सिर्फ लोक क्षेत्र उधम को अपने कैप्टिव उपयोग या व्यापारिक खनन के लिए किया जाता है।

[3] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बैंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) सलहन (चूना पत्थर), (iv) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट) (v) सिरबोई (कायनाइट), (vi) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट), (vii) मानासोती (ग्रेफाइट), (viii) चेलांगी (ग्रेनाइट) एवं (ix) चन्दुला-सिमलगोड़ा (पत्थर)।

[4] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बैंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट) एवं (iv) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट)।

[5] (i) सलहन (चूना पत्थर), (ii) मानासोती (ग्रेफाइट), (iii) चन्दुला सिमलगोड़ा (पत्थर) एवं (iv) सिरबोई (कायनाइट)।

• कंपनी में प्रभावी और कुशल आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा अनुश्रवण प्रणाली प्रचलित थे।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से तैयार किया गया:

- परियोजनाओं के वार्षिक उत्पादन योजना और उत्पादन प्रतिवेदन;
- परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन/औचित्य प्रतिवेदन/खनन योजना;
- निविदा दस्तावेजों के शर्तें एवं बंधेजों और संवेदकों के साथ अनुबंध;
- विनियम/भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंध/पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986/वन संरक्षण अधिनियम, 1980/खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 1988/ खान और खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम (एमएमडीआर) 1957, कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973, कोयला खान विनिमय, 1957; और
- निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवृत।

2.5 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

कंपनी के खानों के विकास, उत्पादन गतिविधियों, खनिजों के विक्रय, खनिजों के लिये पट्टा का अधिग्रहण और वित्तीय निष्पादन के संबंध में 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में सम्मिलित कंपनी के काम-काज का निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2014 के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा परीक्षण में कंपनी के निगमित कार्यालय एवं सभी पाँच परियोजना कार्यालयों[6] के दस्तावेजों के संवीक्षा शामिल था।

कंपनी के प्रबंधन के साथ एक प्रविष्टि सम्मेलन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा करने के लिये किया गया (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष कंपनी एवं सरकार को जारी किये गये थे (अगस्त 2014)। सरकार और कंपनी के उत्तर प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2014)। समापन सम्मेलन का आयोजन (दिसम्बर 2014) सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार और कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ किया गया। सरकार के उत्तर और समापन सम्मेलन में सरकार तथा कंपनी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को लेखापरीक्षा में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.6 वित्तीय स्थिति

कंपनी अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को स्वयं के आंतरिक संसाधनों जैसे खनिजों के विक्रय से आय एवं बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज से करती है। कंपनी दिसम्बर 2014 तक वर्ष 2009-10 से 2013-14 के वार्षिक लेखों को

[6] (i) परियोजना कार्यालय, डाल्टनगंज (नियंत्रक - सेमरा सलातुआ, महुँगाई-तुलबुला, मानासोती खानें एवं सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी) (ii) परियोजना कार्यालय, बैंती-बागदा (नियंत्रक - बैंती-बागदा एवं सलहन खान) (iii) परियोजना कार्यालय, तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट एवं चेलांगी खान (iv) परियोजना कार्यालय, बहरागोड़ा (ज्योतिपहाड़ी एवं सिरबोई खान) (v) परियोजना कार्यालय, चन्दुला सिमलगोड़ा (चन्दुला सिमलगोड़ा खान)।

अंतिमीकृत नहीं की है। 2013-14 को समाप्त पाँच वर्षों का कार्यचालन परिणाम ***परिशिष्ट-2.2*** में वर्णित है।

कंपनी ने 2009-10 में ₹ 29.35 करोड़ का लाभ अर्जित की जिसमें 2010-11 से गिरावट हुई और यह 2013-14 में सिकनी कोयला खान, जो कंपनी का एक मात्र परिचालित कोयला खान था, में कोयले के उत्पादन नहीं होने के कारण घटकर ₹ 2.15 करोड़ हो गया। कंपनी के राजस्व का मुख्य स्रोत कोयला खनन परिचालन, कोयला व्यापार और स्वयं के निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज थे। 2009-10 से 2013-14 के अवधि के दौरान खनिजों के विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व ₹ 121.11 करोड़ में से, सिकनी कोयला खान से कोयले के विक्रय से प्राप्त राजस्व ₹ 114.84 करोड़ (94.82 प्रतिशत) था। हालांकि, 2012-13 और 2013-14 में अर्जित आय मुख्यत: कोयला व्यापार एवं स्वयं के निधि के निवेश पर ब्याज से थे ना कि खनन परियोजनाओं के परिचालन से थे।

2.7 तीन वर्षों से अधिक समय से देय राशि का वसूली न होना

31 मार्च 2010 तक विविध देनदारों से वसूली योग्य राशि ₹ 2.04 करोड़ था जिसमें से ₹ 1.75 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया था। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के वर्षों के विविध देनदारों की स्थिति लेखों के अंतिमीकरण न होने के कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

लंबे समय से बकाये देनदारों का मुख्य कारण आवधिक अंतरालों में वसूली हेतु अनुश्रवण एवं उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिये कंपनी में एक प्रणाली का अभाव था। यह अकुशल ऋण प्रबंधन का सूचक है जिसका परिणाम लंबे समय से बकाया ऋण की वसूली न होना हो सकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.8 कोयला खनन और व्यापारिक गतिविधियाँ

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने बि.रा.ख.वि.नि. को 1987 में सिकनी कोयला खान और 1996 में जगलदगा कोयला खान आबंटित किया था जो कंपनी को मई 2002 में इसके निगमन के बाद हस्तांतरित किये गये। कंपनी द्वारा किये गये आवेदन एवं झारखण्ड सरकार के सिफारिश के आधार पर, 2006-08 के दौरान कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 के धारा 3(3)(ए)(आइ) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को आठ कोयला ब्लॉक आबंटित किये गये। इन कोयला ब्लॉकों का विकास और कोयले का खनन कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार करना था। यद्यपि, उच्चतम न्यायलय द्वारा सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित सभी ब्लॉकों को रद्द किया गया (सितंबर 2014) जो कंडिका 2.11 में विवेचित है।

कंपनी द्वारा परिचालित एक मात्र कोयला खान, सिकनी कोयला खान अप्रैल 2009 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान परिचालन में था। खान में कोयला का उत्पादन 9.78 लाख मेट्रिक टन (एमटी) था और इस अवधि के दौरान कोयला की विक्रय द्वारा ₹ 114.84 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया। खान में खनन परिचालन के निलंबन के कारण जनवरी 2012 से अप्रैल 2014 तक कोयले का कोई उत्पादन एवं विक्रय नहीं हुआ था जैसा कि कंडिका 2.12 में विवेचित है। कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आबंटित कोयले को राज्य के लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वितरण भी कर रही थी और 2009-14 के दौरान 12.37 लाख एमटी कोयला वितरित की जिस पर ₹ 12.63 करोड़ का सेवा शुल्क अर्जित किया।

कोयला ब्लॉकों के विकास, कोयले के खनन एवं व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में लेखापरीक्षा में पाये गये कमियों को अगामी कंडिकाओं में विवेचित किये गये हैं।

2.9 जगलदगा कोयला ब्लॉक में खनन प्रारंभ न होना

जगलदगा कोयला खान में खनन वन अनापत्ति के अभाव में इसके आबंटन से 18 वर्षों के बीतने के बाद भी शुरु नहीं हो पाया था।

वर्ष 1996 में जगलदगा कोल ब्लॉक के आबंटन के बाद, बि.रा.ख.वि.नि. ने 94.41 एकड़ क्षेत्र में अन्वेषण का कार्य किया, जिसके लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने खनन योजना (एमपी) अनुमोदित किया (अक्टूबर 1997) और खनन पट्टा[7] प्रदान किया (फरवरी 1998)। कंपनी (झा.रा.ख.वि.नि.) ने वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार को कोयला ब्लॉक के 69.38 एकड़ वन भूमि में वन अनापत्ति[8] प्राप्त करने के लिए वन अपयोजन प्रस्ताव (एफडीपी) 45 माह के निर्धारित समय अवधि के विरूद्ध आबंटन तिथि से 10 वर्षो की अवधि के बाद जमा किया (मार्च 2006)। यद्यपि, वन एव पर्यावरण मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा दिसम्बर 2014 तक वन भूमि का अपयोजन क्षतिपूरक वनरोपन के अभाव एवं कंपनी द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) मानचित्र जमा करने में विफलता के कारण प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, जगलदगा कोयला खान में खनन वन अनापत्ति के अभाव में कोयला ब्लॉक के आबंटन से 18 वर्षों के पश्चात भी प्रारंभ नहीं हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मई 2008 में कोयला खान क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनापत्ति[9] की मंजूरी दी गयी थी।

---

[7] खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 9(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन कार्य शुरु नहीं करेगा। खनन योजना खान के परिचालन अवधि में स्थल पर किये जाने वाले क्रियाविधियों का वर्णन करता है।

[8] वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के धारा 2 के अनुसार, किसी गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के अपयोजन के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है एवं क्षतिपूरक वनरोपन शुल्क देय होता है।

[9] पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार किसी भी नई परियोजना या किसी मौजूदा उधोग या परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण का कार्य करने के लिए पर्यावरण अनापत्ति के आवेदन पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को जमा करना होता है।

सरकार ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार खान के परिचालन हेतु संयुक्त उद्यम (स.उ.) साझेदार का चयन प्रारंभ किया गया था। हालांकि, प्रक्रियात्मक देरी के कारण संयुक्त उद्यम का गठन नहीं हो सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूरक वनरोपन भूमि एवं डीजीपीएस मात्रचित्र के अभाव में वन अनापत्ति प्राप्त करने में कंपनी की विफलता के कारण खनन प्रारंभ नही हो सका।

2.10 सरकारी कंपनी व्यवस्था के तहत आबंटित आठ कोयला ब्लॉक

2006 से 2008 के दौरान सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित आठ कोयला ब्लॉकों के लिए, पूर्वेक्षण/विस्तृत अन्वेषण और खनन कंपनी या कोयला खनन करने के लिए उपयुक्त कंपनी के सहभागिता से एक अलग सरकारी कंपनी द्वारा किया जाना था।

आबंटन की शर्तों एवं बंधेजों के अनुसार अन्वेषित कोयला ब्लॉकों के लिए कंपनी को आबंटन के डेढ़ माह के अन्दर सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्सटीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआइएल) या जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (जीएसआई) से जियोलाजिकल रिपोर्ट[10] (जीआर) क्रय करना था या अन्नवेषित ब्लॉकों के लिए जीआर, पूर्वेक्षण लाइसेंस मिलने की तिथि से दो वर्षों के अन्दर तैयार करना था।

कंपनी को जीआर की प्राप्ति के छ: महीनों के अन्दर खनन योजना (एमपी) जमा कर इसे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित कराना, जीआर के प्राप्ति की तिथि से 18 महीनों के अन्दर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन अनापत्ति एव पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना था। कोयला ब्लॉकों से खनन कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कोयला ब्लॉकों के जीआर की प्राप्ति की तिथि से 36 से 54 महीनों के अन्दर प्रारंभ करना था। माइलस्टोन की उपलब्धि न होने पर कोयला ब्लॉकों का आबंटन रदद् हो जाना दायी था।

2.11 आठ कोयला ब्लॉकों में खनन कार्य का प्रारंभ न होना

सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत आबंटित आठ कोयला ब्लॉकों के विकास में प्रगति माइलस्टोन के अनुरूप जीआर बनाने, खनन योजना को बनाने एवं अनुमोदन कराने तथा वन एवं पर्यावरण की अनापत्ति प्राप्ति के संबंध में संतोषप्रद नहीं था जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3*** में विस्तृत है। कंपनी ने इन खानों का विकास संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा कराने का निर्णय लिया। यद्यपि, सितम्बर 2014 तक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने हेतु नियुक्त सलाहकार पर ₹ 40 लाख खर्च करने के बावजूद संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन नहीं हुआ था।

---

[10] जियोलोजिकल रिपोर्ट रिजर्व क्षेत्र का विस्तृत अन्वेषण करने के बाद बनाया गया संक्षिप्त, सूचक एवं अच्छी प्रलेखित रिपोर्ट है जो खनन प्रयोजन के लिए क्षेत्रिय आँकड़े की प्रस्तुति, विश्लेषण एवं संक्षेप करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

कंपनी के कोयला ब्लॉकों के विकास तथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में विफलता के कारण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने चार[11] कोयला ब्लॉकों का आबंटन, अन्तर मंत्रालय समुह[12] (आईएमजी) की अनुशंसा पर रदद् कर दिया (जनवरी 2013)। इसके साथ ही कोयला मंत्रालय ने दो रदद् कोयला ब्लॉकों के विरूद्ध जमा की गयी ₹ 18.82 करोड़[13] की बैंक गारंटी (बीजी) को निर्धारित माइलस्टोन को प्राप्त न करने के कारण जब्त करने का निर्णय लिया। यद्यपि, कंपनी ने इन कोयला ब्लॉकों की प्रत्यावर्तन हेतु उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में एक रिट याचिका दायर की (अप्रैल 2013), जो लंबित था (सितम्बर 2014)।

कम्पनी निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार आठ कोयला ब्लॉकों के विकास एवं खनन प्रारंभ करने में विफल रही। इन ब्लॉकों पर किया गया ₹ 18.31 करोड़ का खर्च उच्चतम न्यायालय द्वारा इनके आबंटन को रद्द करने पर निरर्थक हुआ।

इसी बीच, भारत के उच्चतम न्यायालय ने 24 सितम्बर 2014 के अपने एक फैसले में भारत सरकार के स्क्रीनिंग कमिटी के द्वारा एवं सरकारी कंपनी व्यवस्था मार्ग के तहत आबंटित किए गए कोयला ब्लॉकों को मनमाना एवं गैरकानूनी माना। अत: सरकारी कंपनी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को आबंटित सभी आठ[14] कोयला ब्लॉकों को रदद् कर दिया। यद्यपि, कंपनी ने पहले ही इन कोयला ब्लॉकों के विकास एवं खनन हेतु सलाहकार सेवा (₹ 0.40 करोड़), विस्तृत जीआर (₹ 0.84 करोड़), जियोलोजिकल रिपोर्ट का क्रय (₹ 16.33 करोड़), बैंक गारण्टी कमीशन (₹ 0.74 करोड़) इत्यादि पर ₹ 18.31 करोड़ खर्च किया था।

इस प्रकार, कंपनी निर्धारित माइलस्टोन में नियत तिथि के पश्चात् छ: माह से 59 माह के बीत जाने के बावजूद कोयला ब्लॉकों के विकास एवं इन ब्लॉकों में खनन प्रारंभ करने में विफल रही। यदि निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कोयला ब्लॉकों से उत्पादन प्रारंभ किया गया होता तो कोयला खानों के संचालन से अर्जित राजस्व द्वारा इन खानों में किये गए लागत की वसूली की जा सकती थी। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इन कोयला ब्लॉकों को रद्द करने पर कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉकों पर किये गए ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण खर्च निरर्थक हो गया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार संयुक्त उद्यम साझेदार के चयन हेतु पहल की गई थी। हालांकि, प्रक्रियात्मक विलम्ब एव तत्पश्चात सीबीआई जाँच के कारण संयुक्त उद्यम का गठन नहीं हो पाया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कंपनी द्वारा खानों का विकास करने में अत्याधिक विलम्ब की गयी थी। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि प्रगति में कमी के कारण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने चार कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द किया था।

---

[11] पिण्डरा देवीपुर, लातेहार, रबोध और पतरातू।

[12] उर्जा मंत्रालय, स्टील मंत्रालय, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, औधोगिक नियोजन एवं प्रवर्धन विभाग (आईपीपी), कानुन एवं न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग एवं आर्थिक मामलों के विभाग के सदस्य शामिल हैं।

[13] बैंक गारन्टी की राशि का 50 प्रतिशत (₹ 31.00 करोड़ रबोध एवं ₹ 6.64 करोड़ पतरातू के लिए)।

[14] (i) सुगिया, (ii) राउता, (iii) बुढ़ाखाप, (iv) लातेहार, (v) पिन्डरा देवीपुर, (vi) पतरातू, (vii) रबोध और (viii) जागेश्वर एवं खास जागेश्वर।

2.12 खनन विनियमों के उल्लंघन के कारण कोयला खान का परिचालन बन्द होना

कोयला खान नियमावली, 1957 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोयला खान के बेंचों की ढाल को 45 डिग्री से अधिक नहीं रखना था या किनारों को ऊँचाई के साथ बेन्च[15] करके रखना था जो तीन मीटर से अधिक न हो और चौड़ाई, ऊँचाई से कम न हो। संवेदकों के साथ सिकनी कोयला खान के लिए किए गए अनुबंध के शर्तो एवं बंधेजों में यह अनुबद्ध था कि एजेंसी को कोयला खान नियमावली, 1957 के अनुसार बेंचों को बनाये रखना होगा।

सिकनी खान में खनन गतिविधियाँ निर्धारित खनन मानदंडों के अनुपालन न होने के कारण 28 माह तक बन्द रहा।

यद्यपि, संवेदक उपयुक्त बेन्चिंग के बगैर ही खनन-कार्य कर रहा था, जैसे कि खदान बेंचों के दक्षिण-पश्चिम भाग की ऊँचाई स्वीकार्य सीमा के तीन मीटर के विरूद्ध 25 मीटर था और कोयला का उत्खनन दीवार के तल से किया जा रहा था। खनन विनियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण खान-सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) ने खानों में व्यक्तियों की नियुक्ति को निषेध किया (अक्टूबर 2011) तथा कोयले का खनन बंद हो गया था (दिसम्बर 2011)। कंपनी के अनुरोध पर (मार्च 2014), मार्च 2014 में 10 मीटर उँचा बेंच बनाने और बेंच के किनारों को 70 डिग्री तक ढाल रखने की अनुमति प्रदान की गई और संवेदक द्वारा त्रुटियों को दूर करने के बाद खनन कार्य प्रारंभ किया गया (मई 2014)।

इस प्रकार, निर्धारित खनन मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के कारण 28 महीनों तक खनन गतिविधियाँ निलंबित रही।

प्रबन्धन ने कहा कि वैधानिक/तकनीकी मानव शक्ति के कमी के कारण अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

तथ्य यथावत है कि विनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं होने के कारण खनन परिचालन निलंबित था।

2.13 कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयले का आबंटन न करना

कोयला मंत्रालय के नए कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य में वांछनीय उपभोक्ताओं[16] को कोयला वितरण करने हेतु राज्य के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करना था। अधिसूचित एजेंसी को कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा मनोनीत कोयला कंपनी के साथ ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध (एफएसए) करना था। ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध राज्य सरकार द्वारा एजेन्सी की अधिसूचना रद्द करने या कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा यह दायित्व किसी अन्य कोयला कंपनी को देने तक प्रभावी होता। नोडल एजेंसी को कोल इण्डिया लिमिटेड के आधार मूल्य पर पाँच प्रतिशत सेवा-शुल्क वसूल करना था। तदनुसार, राज्य सरकार

[15] खनिज एवं ओभरवर्डन को क्रमिक परतों से निकाला जाता है, जिसमें से प्रत्येक एक बेंच होता है। जिसमें से कई एक ओपेन पिट माईन या एक के अलग-अलग हिस्सों में और भिन्न उत्थानों पर साथ-साथ संचालन हो सकते हैं।

[16] लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ता जिनका वार्षिक आवश्यकता 4200 एमटी तक है एवं जिनका कोयला क्रय के लिये कोई पहुँच या कोल कम्पनियों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध नहीं हैं।

ने झा.रा.ख.वि.नि को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा आबंटित कोयले को झारखण्ड में उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु नोडल एजेंसी अधिसूचित किया।

हमने अवलोकित किया कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष नोडल एजेंसी का नामांकन कर रही थी जबकि नई कोयला वितरण नीति के तहत नामांकन प्रत्येक वर्ष करने की आवश्यकता नहीं थी। इससे प्रत्येक वर्ष ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध के निष्पादन में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप कोयला आबंटन में एक से तीन महीने तक की देरी हुई। वैध ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध के अभाव में, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मासिक 37250 एमटी कोयला का आबंटन मई 2009, अप्रैल 2010 से जून 2010, अप्रैल 2011 एवं अप्रैल 2012 के माह में नहीं किया गया तथा कम मात्रा का आबंटन मई 2011 (32930 एमटी) एवं अप्रैल 2013 (22822 एमटी) में किया। परिणामत: कंपनी उपभोक्ताओं को 279252 एमटी कोयले का वितरण नहीं कर सकी तत्द्वारा ₹ 2.16 करोड़ के सेवा शुल्क से वंचित हुई।

वार्षिक ईंधन आपुर्ति अनुबंधों के हस्ताक्षर में विलम्ब के कारण लघु और मध्यम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बीच वितरण हेतु कोल एंडिया लिमिटेड द्वारा 279252 एमटी कोयला कम आबंटित किया गया।

सरकार ने कहा कि कोल इण्डिया लिमिटेड की नीति के अनुरूप वार्षिक आधार पर ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध किया जा रहा था। इसके अलावा, प्रबन्धन ने कहा कि किसी अन्य नोडल एजेंसी के नामांकन तक झा.रा.ख.वि.नि. को नोडल एजेंसी के रूप में जारी रखने की अनुमति के मामलों को कोल इण्डिया लिमिटेड एवं राज्य सरकार अधिकारियों के समक्ष रखा जा रहा है।

तथ्य यथावत है कि नई कोयला वितरण नीति के नियमों का अनुपालन नहीं होने के कारण तथा वैध ईन्धन आपूर्ति अनुबन्ध के अभाव में, कोल इण्डिया लिमिटेड ने कोयला आबंटित नहीं किया। परिणामत:, कंपनी उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण नहीं कर सकी और उसपर सेवा शुल्क पाने से वंचित रही।

2.14 खनिज खनन एवं अन्य गतिविधियाँ

कंपनी के पास चूना पत्थर, ग्रेफाइट, कायनाइट, पत्थर एवं ग्रेनाइट के नौ पट्टाधारित खानें थी। कंपनी निजी संवेदकों के द्वारा साथ ही विभागीय संचालन द्वारा चार[17] खानों में चूना पत्थर, कायनाइट और ग्रेफाइट का रेजिंग एवं विक्रय कर रही थी। 2012-13 के दौरान पर्यावरण अनापत्तियों के अभाव में इन खानों में खनन कार्य रोक दिया गया। कंपनी चेलांगी ग्रेनाइट खान से भी विभागीय स्तर पर ग्रेनाइट उत्खनन कर रही थी। शेष चार[18] खानें वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में परिचालन में नहीं थे। कंपनी के इन खानों के वैधानिक अनापत्तियों की स्थिति ***परिशिष्ट - 2.4*** में दिया गया है।

[17] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बेंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट) एवं (iv) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट)।

[18] (i) सलहन (चूना पत्थर), (ii) सिरबोई (कायनाइट), (iii) मानासोती (ग्रेफाइट) एवं (iv) चन्दुला सिमलगोडा (पत्थर)।

कंपनी अपने खानों से उत्पादित ग्रेनाइट ब्लॉक का उपयोग कर ग्रेनाइट टाइल्स को उत्पादन हेतु तुपुदाना ग्रेनाइट प्लान्ट एवं चूना पत्थर टुकड़े का उपयोग कर चूना पत्थर चूर्ण उत्पादन के लिए सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी का भी परिचालन कर रही थी।

2009-10 से 2013-14 के दौरान कंपनी का खान-वार उत्पादन एवं विक्रय निष्पादन **तालिका-2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1

खानों के नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)	बिक्रीत एवं उत्पादित मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ लाख में)
सेमरा सलातुआ चूना पत्थर खान	37310	115.41	25174	79.30	10805	44.18	4048	16.82	-	-
बेंती-बागदा चूना पत्थर खान	-	-	2818	9.51	39883	135.09	8378	28.41	-	-
महुँगाई-तुलबुला ग्रेफाइट खान	-	-	-	-	-	-	1518	9.81	-	-
ज्योतिपहाड़ी कायनाइट खान	4420	55.55	3547	47.50	4012	54.77	1015	13.90	-	-
चेलांगी ग्रेनाइट खान (उत्पादन ब्लॉकों की संख्या में)	-	-	-	-	133*	-	203*	-	359*	-

(स्रोत - कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि इस अवधि में 128416 एमटी चूना पत्थर, 12994[19] एमटी कायनाइट, 1518 एमटी ग्रेफाइट एवं 695 ग्रेनाइट ब्लॉकों का उत्पादन हुआ। कंपनी ने इन खनिजों की बिक्री से ₹ 6.10 करोड़ की उगाही की। इसके अलावा, वर्ष 2013-14 में चेलांगी ग्रेनाइट खान में उत्पादित 359 ग्रेनाइट ब्लॉकों के अतिरिक्त खनिजों का कोई उत्पादन एवं विक्रय नहीं था।

* चेलांगी ग्रेनाइट खान से उत्खनित ग्रेनाइट ब्लॉक ग्रेनाइट टाइल्स के उत्पादन के लिए तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट को स्थानांतरित किया गया था।

[19] अप्रैल 2009 से अप्रैल 2010 के दौरान ज्योतिपहाड़ी खान से विभागीय उत्खनित 4833 एमटी कायनाइट शामिल है।

कंपनी के खनिज खानों एवं प्लांट के संचालन में पाये गये कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में किये गये हैं।

2.15 खनन पट्टे का नवीकरण न होना

खनिज समुदान नियमावली (एमसीआर), 1960 के नियम 24ए के अनुसार विद्यमान पट्टे की समाप्ति के कम से कम बारह माह पूर्व ही राज्य सरकार को खनन पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन करना था। वर्ष 2004 तक आठ[20] खानों का पट्टा अवधि कालतिरोहित हुई। पट्टों के नवीकरण एवं खानों के परिचालन हेतु भारत सरकार से इनके खनन योजना वन एवं पर्यावरण अनापत्ति का अनुमोदन तथा संचालन हेतु झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड (जीएसपीसीबी) की सहमति प्राप्त करने थे। विभिन्न खानों के पट्टे की स्थिति ***परिशिष्ट - 2.5*** में उद्धरित है।

हमने पाया कि कंपनी ने 1995 से 2003 के दौरान सक्षम पदाधिकारी को आठ[21] पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन की। यद्यपि, एकमात्र चन्दुला-सिमलगोड़ा खान के लिए नवीकरण प्रदान किया गया है।

सरकार ने उत्तर दिया कि प्रारंभ में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दवारा पर्यावरण अनापत्ति पर जोर नहीं दिया जाता था। तदोपरांत, पर्यावरण अनापत्ति को खनन पट्टे के नवीकरण/अनुमोदन के लिए पूर्वापेक्षित कर दिया गया। कंपनी ने सभी पट्टों के नवीकरण के लिए आवेदन समय पर की थी।

तथापि, तथ्य यथावत है कि कंपनी वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में विफल रही। फलस्वरूप पट्टों का नवीकरण नहीं किया जा सका और आवेदन के 11 से 19 वर्षों के बीत जाने के बाद भी खानें अपरिचालित थीं।

चूना पत्थर खान एवं ग्रांइडिंग फैक्टरी

2.16 वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में चूना पत्थर खान का परिचालन न होना

चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुर मात्रा वाला तलछटी चट्टान होता है जिसका उपयोग टुकड़ों के रुप में स्टील प्लांट में होता है एवं चूर्ण का उपयोग सीमेंट उत्पादन में होता है। कंपनी के चूना पत्थर के तीन पट्टे सेमरा सलातुआ, बेंती-बागदा एवं सलहन में हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

• सेमरा-सलातुआ खान के 2578.28 एकड़ क्षेत्र के पट्टे का नवीकरण हेतु आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया (अप्रैल 1995) और वन अपयोजन प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित था (जून 1998)। कंपनी

---

[20] (i) सेमरा सलातुआ (चूना पत्थर), (ii) बेंती-बागदा (चूना पत्थर), (iii) सलहन (चूना पत्थर), (iv) ज्योतिपहाड़ी (कायनाइट), (v) सिरबोई (कायनाइट), (vi) महुँगाई-तुलबुला (ग्रेफाइट) एवं (vii) मानासोती (ग्रेफाइट) के सम्बन्ध में 20 वर्षों के लिए पट्टे एवं (viii) चन्दुला सिमलगोड़ा पत्थर खान के संबंध में 10 वर्षों के लिये।

[21] जनवरी 2011 में चेलांगी ग्रेनाइट खान को प्रदत्त नये पट्टे को छोड़कर।

(झा.रा.ख.वि.नि.) ने खनन योजना पट्टा नवीकरण के आवेदन से 19 वर्षों के व्यापक अवधि के बीत जाने के बाद भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को प्रस्तुत किया (जून 2014) चूंकि यह अपने निरूत्साह प्रवृति के कारण खनन योजना तैयार करने में असफल रही। जिसका अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (दिसंबर 2014)। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण के अध्ययन हेतु तीन वर्षों के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स[22] (टीओआर) जारी किया (फरवरी 2009) जो खनन स्कीम[23] को प्रस्तुत नहीं करने के कारण समाप्त हो गया था (फरवरी 2012)।

सेमरा सलातुआ खान जून 2012 से पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में अपरिचालित रहा।।

कंपनी ने आधारभूत आँकड़ा को बनाने और पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंधंन योजना (ईएमपी) को तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त की (जनवरी 2013), यधपि, पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टीओआर के लिए नया आवेदन प्रस्तुत नहीं किया (दिसम्बर 2014) और पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं किया जा सका। कंपनी ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से खनन संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन भी नहीं की है।

हमने पाया कि कंपनी अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण अनापत्ति के बिना ही खनन कार्य कर रही थी। परिणामत: जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति के अनुपलब्धता के कारण उत्पादन को निलंबित किया गया (जून 2012)।

- बेंती-बागदा खान के 334.87 एकड़ क्षेत्र पट्टा के नवीकरण का आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया (मई 1995)। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा अगस्त 2002 में बेंती-बागदा खान का खनन योजना अनुमोदित किया गया था। वनभूमि के कुल 69.87 एकड़ में से, 22.41 एकड़ क्षेत्र का वन अपयोजन प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जुलाई 2005 में अनुमोदित किया गया था। तदोपरांत, कंपनी ने वन भूमि के शेष 47.46 एकड़ के लिए वन अपयोजन प्रस्ताव जमा किया (जुलाई 2013)। तथापि, हमने अवलोकित किया कि कंपनी को संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र का सीमांकन कर वन अपयोजन प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत और अनुपयोगी भूमि को प्रत्यार्पित करना था और जो अब तक किया जाना है (दिसम्बर 2014)।

बेंती बागदा खान जुलाई 2012 से पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में जिला खनन अधिकारियों द्वारा खान के निलंबन के कारण परिचालन में नहीं रहा।

पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने हेतु एक सलाहकार को नियुक्त किया गया था (जनवरी 2007) जिसने पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना को तैयार किया तथा पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन जुलाई 2007 में पट्टा नवीकरण के आवेदन के पश्चात् 12 वर्ष बीतने के बाद प्रस्तुत किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन के अध्ययन हेतु टीओआर जारी

[22] टीओआर पर्यावरण प्रभाव आकलन का प्रतिवेदन और पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनाने के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय मामलों को संबोधित करने के लिए निर्धारित किया जाता है।

[23] खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के तहत, पट्टेदार को खनन योजना की समीक्षा करनी होती है और खनन योजना प्रस्तुत करने के हर पांच वर्षों के लिए खनन स्कीम (एमएस) के साथ एक प्रगामी खान समापन योजना (पीएमसीपी) प्रस्तुत करना होता है। इसमें अगले पाँच वर्षों में स्थलों पर की जानें वाली गतिविधियाँ शामिल होती है।

किया (मई 2008)। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माँगें जाने पर, कंपनी ने खनन स्कीम सह प्रगामी खान समापन योजना (पीएमसीपी)[24] मार्च 2013 में प्रस्तुत की। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने टीओआर की वैधता समाप्त हो जाने (मई 2012) के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया (जुन 2013)। कंपनी ने पुन: टीओआर के लिए आवेदन की (जुलाई 2013) जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अध्ययन हेतु जारी किया गया (दिसम्बर 2013), यद्यपि, कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन/प्रर्यावरण प्रबंधन योजना अभी तक तैयार किया जाना था।

परिणामत:, खानों का उत्पादन निलंबित किया गया (जुलाई 2012) चूँकि जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति के अभाव के कारण खनन चालान जारी नहीं किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से परिचालन हेतु सहमति के लिए आवेदन किया था (मई 2014) और वह लंबित था (दिसम्बर 2014)।

सलहन खान वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में 1997 से अपरिचालित रहा।

- सलहन खान के 257.03 एकड़ क्षेत्र के पट्टा के नवीकरण का आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रस्तुत किया गया था (मई 1995)। हमने देखा कि कंपनी के निरूत्साह प्रवृति के कारण नवीकरण के आवेदन के 19 वर्षो के बाद में कंपनी ने आईबीएम को खनन योजना प्रस्तुत किया (मई 2014) और इसका अनुमोदन लंबित था (दिसम्बर 2014)। कंपनी ने राज्य वन विभाग को वन अपयोजन प्रस्ताव जमा किया था (जून 2013) जो कि वन विभाग द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को अनुमोदन के लिये अभी तक अग्रेषित किया जाना था। कंपनी ने अभी तक पर्यावरण अनापत्ति के लिये कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी तथा झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से खान के संचालन के लिये सहमति प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया था (दिसम्बर 2014) जिसके परिणामस्वरूप, 1997 से खान अपरिचालित रही।

इस प्रकार, दिसम्बर 2014 तक वैधानिक अनापत्तियॉ प्राप्ति करने में कंपनी के असफलता के कारण उपरोक्त सभी चूना पत्थर खानें अपरिचालित रही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि आईबीएम ने सेमरा सलातुआ और सलहन के खनन योजना के अनुमोदन हेतु निरीक्षण किया है। बेंती-बागदा और सलहन खानों के लिए वन अनापत्ति का प्रस्ताव वन विभाग के पास लंबित है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से बेंती-बागदा खान के लिये टीओआर प्राप्त किया जा चुका है तथा पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में खानें अपरिचालित रहे।

[24] इसमें खान के परिचालन अवधि के पहले, अवधि के दौरान एवं बाद के सभी आवश्यक गतिविधियों के लिए एक प्रभावी योजना शामिल है, जो मितव्ययी रूप से एक स्वीकार्य भूसतह के निर्माण एवं भूमि के पुर्नस्थापन के निर्माण के लिए आवश्यक है।

2.17 अपरिचालित ग्रांइडिंग फैक्टरी पर निष्क्रिय व्यय

कंपनी ने एक संवेदक[25] को सेमरा सलातुआ से चूना पत्थर टुकड़ों के रेजिंग और अपने सुदना ग्रांइन्डिग फैक्टरी (फैक्टरी) में पीस कर चूना पत्थर चूर्ण के उत्पादन और उत्पादों के क्रय के लिए तीन वर्षों के लिए नियुक्त की (अगस्त 2007)। अनुबंध के शर्तो के अनुसार, संवेदक को प्रति वर्ष कम से कम 36,000 एमटी चूना पत्थर टुकडों का उत्पादन और क्रय करना था। इसके अतिरिक्त, संवेदक को प्रति वर्ष अनुमोदित दर पर 3600 एमटी चूना पत्थर टुकड़े की आपूर्ति करना और पीसना आवश्यक था और ऐसे उत्पादित चूना पत्थर चूर्ण को विक्रय मूल्य तथा रेजिंग, ग्रांइडिंग, परिवहन व्यय सहित के अन्तर राशि का भुगतान कर क्रय करना था।

कम्पनी चूर्ण उत्पादन के लिए चूना पत्थर टुकडों की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही और ₹ 40.04 लाख का हानि वहन किया।

हमने देखा कि संवेदक ने सितम्बर 2007 से अगस्त 2010 के दौरान 46296 एमटी चूना पत्थर टुकड़ों का उत्खनन किया यधपि 10500 एमटी चूना पत्थर चूर्ण के उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1853 एमटी चूना पत्थर टुकडों (8647 एमटी की कमी) का ही आपूर्ति किया। इस प्रकार, कंपनी संवेदक द्वारा चूना पत्थर चूर्ण उत्पादन के लिए अपेक्षित चूना पत्थर टुकड़ों के आपूर्ति सुनिश्चित करने में असफल रही जिसके फलस्वरूप ₹ 40.04 लाख[26] की हानि हुई।

उपर्युक्त करार के समाप्ति पर (सितम्बर 2010) कंपनी ने यह कार्य एक दूसरे[27] संवेदक को प्रदान किया (मई 2011)। हालांकि, संवेदक को संविदा के शर्तो के अनुसार 4800 एमटी चूना पत्थर टुकडों को फैक्टरी में पीसने के लिए आपूर्ति करना था परन्तु उसने कोई चुना पत्थर टुकड़ा फैक्टरी को आपूर्ति नहीं किया, चूँकि इसे विभागीय या बाहरी एजेंसी की नियुक्ति द्वारा संचालन करने में कंपनी की असफलता के कारण फैक्टरी सितम्बर 2010 से बन्द रहा। इसके अलावा, सेमरा सलातुआ चूना पत्थर खान में चूना पत्थर टुकड़े का उत्पादन, जो फैक्टरी को कच्चा माल आपूर्ति कर रहा था, भी पर्यावरण अनापत्ति उपलब्ध नहीं रहने के कारण जून 2012 से बन्द हो गया।

इस प्रकार, कंपनी ग्रांइडिंग फैक्टरी को सितम्बर 2010 से संचालित करने में असफल रही, फलस्वरूप मार्च 2014 तक ₹ 87.80 लाख का वेतन एवं मजदूरी (₹ 83.43 लाख) एवं बिजली व्यय (₹ 4.37 लाख) पर, निष्क्रिय व्यय करना पड़ा।

सरकार ने उत्तर दिया कि प्रथम संवेदक अनुबंध के शर्तो एवं बंधेजों के अनुपालन में असफल रहा था। नोटिस निर्गत किये गये थे तथा एजेंसी को भुगतेय राशि को अर्थ दंड की वसूली हेतु रोका गया है। संवेदक की नियुक्ति नहीं किया जा सका चूंकि

---

[25] एमएलसी लिमिटेड।

[26] विक्रय मुल्य ₹ 750 - (रेजिंग लागत ₹110 + परिवहन लागत ₹ 75 + ग्राइंडिंग लागत ₹ 82 + अर्थदण्ड ₹ 20) यानी ₹ 463 प्रति एमटी x 8647 एमटी = ₹ 40.04 लाख।

[27] भवानी इंडस्ट्रीज।

निविदा के विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुआ था। साथ ही, फैक्टरी को विभागीय स्तर से संचालित भी नहीं किया जा सका।

तथ्य यथावत है कि कंपनी संवेदक द्वारा चूना पत्थर टुकड़ों की अनुबंधित मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं फैक्टरी को संचालित करने में असफल रही जिसके परिणामस्वरुप राजस्व अर्जन हेतु आधारभूत संरचना अनुपयोगी रहा।

कंपनी को अवरोधों को दूर कर फैक्टरी के संचालन हेतु कदम उठाने एवं इसको लाभकारी तरीके से चलाने की जरूरत है।

2.18 चूना पत्थर खानों में खान विनियम का उल्लंघन

धातु खान विनियम, 1961 के नियम 106 के अनुसार (कोयला एवं तेल के अलावा अन्य सभी खानों में लागू) खान के किनारों को बेंच करके रखना था और किसी भी बेंच की ऊँचाई 1.5 मीटर से अधिक और चौड़ाई, ऊँचाई से कम नहीं होनी थी।

खान सुरक्षा महानिदेशक ने विनियमों के अनुपालन नहीं करने के कारण सेमरा-सलातुआ खान में व्यक्तियों के नियुक्ति को निषेध किया।

अभिलेखों के संवीक्षा से हमने अवलोकित किया कि सेमरा-सलातुआ चूना पत्थर खान में उत्खनन 1.5 मीटर की स्वीकार्य बेंच ऊँचाई के विरूद्ध लगभग 40 मीटर ऊँचाई पर अपर्याप्त बेंच की चौड़ाई बनाकर किया गया था। खान सुरक्षा महानिदेशक ने कंपनी को 60 दिनों के अंदर त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया (सितम्बर 2010)। चूंकि कंपनी अनुपालन में विफल रही, खान सुरक्षा महानिदेशक ने खानों में व्यक्तियों की नियुक्ति को निषेध कर दिया (नवम्बर 2011)। तथापि, हमने देखा कि खान में उत्पादन मई 2012 तक जारी रहा। उसके बाद, पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में खान अभी तक असंचालित रहा (दिसम्बर 2014)।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने के बाद, कंपनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

तथ्य यथावत है कि खनन संचालन विनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण निलंबित रहा।

ग्रेफाइट खान

2.19 वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में ग्रेफाइट खानों का अपरिचालन

ग्रेफाइट कार्बन का एक रवा क्रिस्टलीय रूपान्तरण है, जिसका उपयोग सूखे बैटरी, रिफ्रैक्सनरीज, पेन्सिल, इलेक्ट्रोड, लूबरीकेन्ट, विस्फोटक तथा पेन्ट इत्यादि के निर्माण में उपयोग होता है। बि.रा.ख.वि.नि. के पास 1285.18 एकड़ में आच्छादित दो ग्रेफाइट खान पट्टे महुँगाई-तुलबुला और मानासोती में थी। इन खानों के पट्टा अवधि के समापन के बाद (महुँगाई-तुलबुला - अक्टूबर 1996 एवं मानासोती - सितम्बर 1999) पट्टों का नवीकरण पूर्वापेक्षित शर्तों को पूरा न करने के कारण प्रदान नहीं किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- महुँगाई-तुलबुला के 552.15 एकड़ क्षेत्र के पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा जमा किया गया था (अक्टुबर 1995) तथा खनन योजना

अनुमोदित था (अगस्त 1999)। कंपनी ने वन भूमि के 48.98 एकड़ का अपयोजन के लिए प्रस्ताव जमा की (अप्रैल 2008) जिसे राज्य वन विभाग द्वारा विमुक्त नहीं किया गया चूंकि यह अपूर्ण था तथा इसमें अनेक त्रुटियाँ थी। इसके अलावा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन जुलाई 2013 को किया गया जिसका अनुमोदन प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2014)।

महुँगाई-तुलबुला खान में वन पर्यावरण अनापत्ति एवं अनुमोदित खनन स्कीम के बिना खनन परिचालन को जिला खनन अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया।

कंपनी पर्यावरण अनापत्ति एवं अनुमोदित खनन स्कीम के बिना ही खनन परिचालन कर रही थी। जिसके कारण, खनन का परिचालन जिला खनन अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था (जनवरी 2013) एवं आईबीएम ने भी अनुमोदित खनन स्कीम के बिना खनन कार्य को निषेध कर दिया (फरवरी 2014)। इसके अलावा, कंपनी ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति हेतु आवेदन की थी (जुलाई 2012)। यधपि, झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड ने खनन पट्टे के अवधि की समाप्ति के बाद, पर्यावरण मंजूरी, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं परिचालन हेतु सहमति के बिना खान के परिचालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसम्बर 2012)। खान परिचालन की सहमति अब-तक प्रदान नहीं की गयी है (दिसम्बर 2014)।

मानासोती ग्रेफाइट खान 1985 से वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में अपरिचालित रहा।

- मानासोती ग्रेफाईट खान के 733.03 एकड़ क्षेत्र में पट्टे के नवीकरण का आवेदन बि.रा.ख.वि.नि. द्वारा जमा किया गया था (अगस्त 1998)। कंपनी (झा.रा.ख.वि.नि.) ने संबंधित दस्तावेजों के अनुपलब्धता के कारण खनन योजना नहीं बनायी। कंपनी ने वन अपयोजन प्रस्ताव एवं पर्यावरण अनापत्ति के अनुमोदन साथ ही साथ झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति हेतु अभी तक कोई कारवाई शुरु नहीं किया (दिसम्बर 2014)। परिणामत: खान 1985 से असंचालित रही।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि महुँगाई-तुलबुला का खनन योजना एवं प्रगामी खान समापन योजना तैयार किया गया है और आईबीएम को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। वन विभाग को प्रस्तुत वन अपयोजन प्रस्ताव को संबंधित खनिजीकृत क्षेत्र जोन के संशोधन हेतु वापस किया गया था। मानासोती के पट्टे का प्रर्त्यापण विचारधीन है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने में असफल रहने के कारण महुँगाई-तुलबुला खान अपरिचालित रहा। इसके अलावा, मानासोती खान के प्रत्यार्पण का प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत किया जाना था।

कायनाइट खान

2.20 वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में कायनाइट खान का अपरिचालन

कायनाइट रासायनिक दृष्टिकोण से उच्च एल्यूमिना सिलिकेट खनिज है, जिसका उपयोग मुख्यत: रिफ्रेक्ट्री उत्पादन में होता है। कंपनी ने कायनाइट के दो पट्टे पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के ज्योतिपहाड़ी एवं सिरबोई में प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुए:

• कंपनी ने ज्योतिपहाड़ी खान के 50.25 एकड़ क्षेत्र के पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन की (अगस्त 2003)। खान का खनन योजना मार्च 2007 में अनुमोदित हो चुका था, तथापि कंपनी द्वारा प्रस्तुत खनन स्कीम (एमएस) एवं प्रगामी खान समापन योजना (पीएमसीपी) त्रुटियों के वजह से अनुमोदित नहीं हुआ था। कंपनी ने संशोधित खनन स्कीम जमा किया (जनवरी 2014) जिसका भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निरीक्षण किया गया था (मार्च 2014), तथापि अब तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया है (दिसम्बर 2014)।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय अध्ययन के लिए टीओआर जारी किया (फरवरी 2009) जो खनन स्कीम के जमा नहीं किये जाने के कारण कालतिरोहित हो गया (फरवरी 2012) और नया टीओआर अबतक प्राप्त किया जाना था। पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार नहीं किया जा सका था और पर्यावरण अनापत्ति भी प्राप्त नहीं किया जा सका। कंपनी ने खान के परिचालन हेतु झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के सहमति के लिए आवेदन नहीं किया (दिसम्बर 2014)।

ज्योतिपहाड़ी में खनन परिचालन अगस्त 2012 से अनुमोदित खनन स्कीम और पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में बन्द रहा।

हमने पाया कि कंपनी अनुमोदित खनन स्कीम एवं प्रगामी खान समापन योजना और पर्यावरण अनापत्ति के बिना ही खनन कार्य कर रही थी। परिणामस्वरूप, आईबीएम ने खनन परिचालन निलंबित कर दिया (जून 2012) और जिला खनन अधिकारियों ने भी पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में, खनन क्षेत्र में वाहनों के परिवहन के लिए परिवहन चालान निर्गत करने से इनकार कर दिया (अगस्त 2012)। इस प्रकार, अनुमोदित खनन स्कीम एवं प्रगामी खान समापन योजना और पर्यावरण अनापत्ति के अभाव में खनन कार्य अपरिचालित रही।

• कंपनी ने सिरबोई खान के 168.40 एकड़ क्षेत्र पर खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत की (अगस्त 2003)। सिरबोई का खनन योजना जूलाई 2000 में अनुमोदित हो चुका था। वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने पर (फरवरी 2008), वन विभाग ने झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रस्ताव में निहित त्रुटियों को भी सुधारने का निर्देश दिया (मई 2008)। कंपनी ने इसके अनुपालन में पाँच साल से भी अधिक अनावश्यक लंबी अवधि लिया और संशोधित वन अपयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत की (जनवरी 2014) जिसे वन विभाग द्वारा अबतक विमुक्त नहीं किया गया है (दिसम्बर 2014)। इस प्रकार, प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुमोदनार्थ अभी भी अग्रेषित किया जाना है।

कम्पनी सिरबोई खान के लिए वन और पर्यावरण अनापत्तियों को प्राप्त करने में विफल रही और झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त नहीं की जिसके कारण खान 1992 से अपरिचालित रही।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण अध्ययन हेतु टीओआर जारी किया (फरवरी 2010) तथापि, कंपनी टीओआर के वैधता अवधि (फरवरी 2013) में पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने मे असफल रही। तत्पश्चात, कंपनी ने पर्यावरण अनापत्ति हेतु टीओआर के निर्धारण के लिए आवेदन नहीं किया था। साथ ही, खान के प्रचालन हेतु

झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का सहमति भी अब तक प्राप्त नहीं किया गया था (दिसम्बर 2014)। परिणामत:, खान 1992 से अपरिचालित रही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि आईबीएम ने ज्योतिपहाड़ी खान के खनन स्कीम का अनुमोदन हेतु निरीक्षण किया है। टीओआर का अंतिमीकरण राज्य पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण समिति, झारखण्ड के पास विचाराधीन है एवं सिरबोई खान का वन अपयोजन प्रस्ताव वन विभाग के पास लंबित है।

तथ्य यथावत है कि उपरोक्त खानों के पट्टे के नवीकरण में अत्यधिक विलम्ब हुए और वैधानिक अनापत्ति प्राप्ति में देरी के वजह से खानें अपरिचालित रही।

2.21 निजी संवेदकों द्वारा चूना पत्थर, ग्रेफाइट एवं कायनाइट के उत्पादन में कमी

कंपनी 2009-2013 के दौरान विविध अवधियों में बेंती-बागदा एवं सेमरा सलातुआ खानों से चूना पत्थर टुकड़े और महुँगाई-तुलबुला से ग्रेफाइट का उत्खनन कर रही थी। ज्योतिपहाड़ी खान से कायनाइट का खनन कार्य निजी संवेदकों के साथ-साथ विभागीय स्तर द्वारा किया जाता था। 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान खनिजों का खान-वार अनुबंधात्मक उत्पादन लक्ष्य के तुलना में वास्तविक उत्पादन **तालिका-2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2

(एमटी में आँकड़ें)

खान का नाम	खनिज का नाम	खनन की अवधि	अनुबंधित मात्रा	वास्तविक उत्पादन	कमी	कमी (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(4)x 100
बैंती-बागदा चुना पत्थर	चूना पत्थर	01.12.10 to 30.06.12	93127	50381	42746	45.90
सेमरा सलातुआ	चूना पत्थर	01.04.09 to 31.05.12	153785	77337	76448	49.71
महुँगाई-तुलबुला	ग्रेफाइट	01.05.12 to 31.12.12	10865	1518	9347	86.03
ज्योतिपहाड़ी	कायनाइट	01.05.10 to 31.07.12	16370	8161	8209	50.15

(स्रोत - झा.रा.ख.वि.नि. द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

चूना पत्थर, ग्रेफाइट और कायनाइट के उत्पादन में अनुबंधित मात्रा से 45.90 प्रतिशत से लेकर 86.03 प्रतिशत तक की कमी थी।

उपर्युक्त से यह प्रकट होता है कि संवेदकों ने अनुबंध अवधि के दौरान उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे और 2009-10 से 2012-13 के दौरान चुना पत्थर (119194 एमटी), ग्रेफाइट (9347 एमटी) एवं कायनाइट (8209 एमटी) के उत्पादन में कमी थी, जो इन खनिजों के अनुबंधित मात्रा के 45.90 प्रतिशत से 86.03 प्रतिशत के बीच था। कमियों का कारण मशीनों के विलंब एवं अपर्याप्त

उपलब्धता, संवेदकों की लापरवाही एवं कंपनी की तरफ से अनुश्रवण की कमी थे। उत्पादन में कमियों के फलस्वरुप कंपनी को सार्थक राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने संवेदकों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में सतत असफलता के बावजूद उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की। कम्पनी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्षम संवेदकों की नियुक्ति की संभावना का भी खोज नहीं की थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि कंपनी ने उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए अर्थदण्ड लगायी थी एवं उत्पादन में कमी कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों यथा स्थानीय कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, नक्सल बंद इत्यादि एवं बाजार मांग में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण से भी थे, जो एजेंसियों के साथ-साथ कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा लगाया गया अर्थदण्ड उत्पादन में हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, कंपनी ने उपरोक्त परिस्थितियों, जिसके कारण उनके उत्पादन प्रभावित हुए थे, को ध्यान में रखते हुए खानों के उत्पादन लक्ष्यों को पहले से ही संशोधित कर दी थी। इस प्रकार, कंपनी उत्पादन में कमी के लिए संवेदकों के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने में असफल रही।

कंपनी को सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदक उत्पादन लक्ष्यों का पालन करें।

पत्थर खान

2.22 पत्थर खानों का अपरिचालन

कंपनी का पत्थर खान चन्दुला सिमलगोड़ा में 172.80 एकड़ क्षेत्र पर था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने चन्दुला सिमलगोड़ा के वन अपयोजन प्रस्ताव (स्टेज-I अनापत्ति) सम्पूर्ण वन क्षेत्र (69.93 हेक्टर) के लिए वर्तमान मूल्य का भुगतान झारखण्ड सरकार को करने की शर्त पर अनुमोदित किया (जुलाई 2010)। झारखण्ड सरकार ने कंपनी को वन भूमि के अपयोजन के लिए निवल वर्तमान मूल्य के मद में ₹ 5.61 करोड़ (दिसम्बर 2011 में संशोधित ₹ 4.38 करोड़) एवं क्षतिपूरक वनरोपन के लिए ₹ 1.25 करोड़ भुगतान करने का निर्देश दिया (अगस्त 2010)।

कंपनी ने खानों के लिए खान विकासक सह प्रचालक (एमडीओ) के चयन के लिए एक निविदा प्रकाशित किया (मई 2013)। निविदा के शर्त के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य एवं वनरोपन शुल्कों का भुगतान चयनित एजेंसी द्वारा करना था। यधपि, पूर्व बोली बैठक में बड़े संख्या में निविदाकर्ता उपस्थित हुए, परन्तु उच्च प्रारंभिक निवेश एवं वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में अनिश्चितता के कारण कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। साथ ही, कंपनी ने निवल वर्तमान मूल्य एवं वनरोपन शुल्कों का भुगतान नहीं की और वन अनापत्ति प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2014)।

चन्दुला-सिमलगोड़ा पत्थर खान वैधानिक आपत्तियों की प्राप्ति में विफलता के कारण 2000 से अपरिचालित रही।

कंपनी ने आईबीएम को खनन योजना जनवरी 2014 में प्रस्तुत की जिसका अबतक अनुमोदित किया जाना था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अध्ययन के लिए टीओआर निर्गत किया गया (मार्च 2014) तथापि कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना अबतक बनाया जाना था। इस प्रकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण अनापत्ति अभी तक प्रदान नहीं किया गया है (दिसम्बर 2014)। कंपनी ने खान के परिचालन हेतु झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन नहीं की थी।

इस प्रकार, चन्दुला सिमलगोड़ा पत्थर खान कंपनी के वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति एवं एमडीओ के नियुक्ति में असफलता के कारण 2000 से अपरिचालित रही।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि खनन योजना के अनुमोदन हेतु कार्रवाई किया गया है। एमडीओ का चयन विचाराधीन है। एमडीओ द्वारा देय प्रारंभिक पूँजी निवेश की शर्त कंपनी के निधि के अवरोध से बचने के लिए निर्धारित किया गया था। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से टीओआर प्राप्त हो गया है और पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्तियों एवं एमडीओ की नियुक्ति के अभाव में खान पिछले 14 वर्षो से संचालन में नहीं थी।

ग्रेनाइट खान एवं ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट

2.23 ग्रेनाइट खान का अल्प निष्पादन

ग्रेनाइट एक अन्तर्वेधी आग्नेय चट्टान है जो वृहद पैमाने पर भवन निर्माण एवं वास्तुशिल्प डिजाइन में उपयोग होता है। कंपनी का दो एकड़ पट्टा क्षेत्र में एक ग्रेनाइट खान है।

कम्पनी द्वारा ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन में 95.72 प्रतिशत की कमी के कारण तुपुदाना ग्रेफाइट प्लांट अल्प निष्पादन में था।

कंपनी चेलांगी ग्रेनाइट खान से ग्रेनाइट ब्लॉक विभागीय स्तर पर उत्खनन कर रही थी। चेलांगी ग्रेनाइट खान के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, ग्रेनाइट ब्लॉक का उत्पादन लक्ष्य प्रति वर्ष 6499 घन मीटर था। 2011-12 से 2013-14 की अवधि में 16,248 घन मीटर के ग्रेनाइट ब्लॉक के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कंपनी ने 695 घन मीटर (4.28 प्रतिशत) उत्पादन कर सका। ग्रेनाइट ब्लॉक के उत्पादन में 15,553 घन मीटर (95.72 प्रतिशत) की कमी का कारण मानव शक्ति का अभाव था जो तुपुदाना ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट के अल्प निष्पादन का कारण भी बना जैसा कि कंडिका 2.24 में विवेचित है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट केवल छोटे ब्लॉकों को संभालने के लिए पर्याप्त है और छोटे ग्रेनाइट ब्लॉकों के लिए पड़ोस के क्षेत्र में कोई बाजार नहीं है। चूंकि उत्पादन प्लांट की क्षमता पर सीमित है और इसलिए कम मानव शक्ति लगाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्लांट ग्रेनाइट ब्लॉकों के अभाव में अल्प उपयोग में रहा।

2.24 ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट का अल्प उपयोग

बि.रा.ख.वि.नि. ने ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिशिंग प्लांट (प्लांट) 1997 में स्थापित किया जिसका उत्पादन क्षमता 2500 वर्ग फीट प्रति माह था। प्लांट 2007 से 2010 तक ग्रेनाइट ब्लॉकों के अनुपलब्ध्ता के कारण असंचालित रहा। कंपनी ग्रेनाइट प्लांट को स्वयं के खान (चेलांगी) से विभागीय स्तर पर ग्रेनाइट ब्लॉकों के उत्पादन प्रारंभ होने पर पुन: आरंभ किया (मई 2011)। 2011-12 से 2013-14 के वर्षो में प्लांट के उत्पादन निष्पादन **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका - 2.3

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
वार्षिक उत्पादन क्षमता (वर्गफीट)	30000	30000	30000
वार्षिक उत्पादन (वर्गफीट)	2392	9036	8872
वार्षिक क्षमता से उत्पादन का प्रतिशत	7.97	30.12	29.57

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

2011-12 से 2013-14 में ग्रेफाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन, उत्पादन क्षमता का 7.97 प्रतिशत से 30.12 प्रतिशत था।

तालिका 2.3 से देखा जा सकता है कि ग्रेनाइट टाइल्स का वार्षिक उत्पादन 2011-12 में 2392 वर्गफीट, 2012-13 में 9036 वर्गफीट एवं 2013-14 में 8872 वर्गफीट था जो इस अवधि के दौरान वार्षिक उत्पादन क्षमता का 7.97 से 30.12 प्रतिशत था। प्लांट के अल्प उपयोग का कारण ग्रेनाइट ब्लॉक, डायमंड ब्लेड एवं कटिंग तेल की अनुपलब्धता थी।

फलस्वरुप, प्लांट 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमश: ₹ 46.49 लाख, ₹ 62.11 लाख, और ₹ 96.46 लाख की हानि वहन किया जिसमें निंरतर वृद्धि हो रही थी। हानि का कारण निष्क्रिय मानवशक्ति पर वेतन एवं मजदूरी में व्यय एवं प्लांट का उन्नयन ना होना था।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी मई 2013 में प्लांट के उन्नयन के लिए प्रस्ताव तैयार किया, तथापि उन्नयन अभी तक किया जाना था (दिसम्बर 2014) और कंपनी व्यवहार्यता सुनिश्चित किए बिना प्लांट का परिचालन कर रही थी।

सरकार ने उत्तर दिया कि तुपुदाना प्लांट एक प्रायोगिक प्लांट था, प्रबंधन वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सुधारात्मक उपाय शुरु करने का प्रयास करेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्लांट पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन में था। प्लांट के उन्नयन का प्रस्ताव इसके प्रारंभ के 18 माह बीतने के बाद भी अब तक अनुमोदित किया जाना था।

कंपनी को प्लांट के निष्क्रिय क्षमता के उपयोग एवं इसके वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए।

इस तरह, नौ मौजूदा गैर कोयला खानों में से केवल पाँच खानों[28] के खनन योजनायें अनुमोदित थे, एक खान (सेमरा-सलातुआ) के लिए वन अनापत्ति प्राप्त किया गया था और किसी भी खान के लिए पर्यावरण अनापत्ति और झारखण्ड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति अबतक प्राप्त नहीं किया जा सका था (दिसम्बर 2014) जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में विवेचित है।

परिणामत:, आठ खाने दिसम्बर 2014 तक अपरिचालित रही हालांकि चार[29] खानों से खनन विभिन्न अवधियों के दौरान किया गया और इनको सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण अनापत्ति, खनन योजना एवं खनन स्कीम के अभाव में बंद कर दिया गया था। फलस्वरुप, जनवरी 2013 से इन खानों में नियुक्त मानवशक्ति (115 कर्मचारी) निष्क्रिय रहे।

कंपनी सुदना ग्रांइडिंग फैक्टरी के संचालन में विफल रहा जो सितम्बर 2010 से बंद रहा, परिणामत: फैक्टरी के अपरिचालन के कारण ₹ 87.80 लाख का निष्क्रिय व्यय हुआ। तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट निष्क्रिय मानवशक्ति पर वेतन एवं मजदूरी के व्यय और प्लांट के उन्नयन न होने के कारण 2011-2014 के दौरान ₹ 2.05 करोड़ का हानि वहन किया।

कंपनी को खानों के विकास एवं वैधानिक आवश्यकताओं के समयबद्ध अनुपालन हेतु प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

2.25 खनिजों के स्टॉक का अनिस्तारीकरण

वन अनापत्ति के अभाव में ₹ 23.71 लाख मूल्य के खनिजों का स्टॉक बिना निस्तारीकरण के रहा।

31 मार्च 2010 को कायनाइट (921 लाख एमटी) चूनापत्थर (3198 लाख एमटी) मैग्नेटाइट (304 लाख एमटी) और ग्रेफाइट (6917 लाख एमटी) का अविक्रीत स्टॉक था। खनिजें वन क्षेत्र में पड़े हुए थे। इन खनिजों का अनुमानित उगाही योग्य मूल्य कंपनी द्वारा 2008 में निविदा के लिए तय सुरक्षित मूल्य के आधार पर ₹ 23.71 लाख था।

हमने देखा कि इन खनिजों के निस्तारीकरण के लिए निविदा 2008 एवं 2009 में किया गया था और कार्य आदेश जारी किए गए थे। चूंकि वन विभाग, वन अनापत्ति के अभाव में वन क्षेत्र से खनिजों को उठाने की अनुमति नहीं दिया इनको निस्तारित नहीं किया जा सका। खनिज स्टॉक के अपरिशोधन के परिणामस्वरुप कार्यशील पूँजी अवरूद्ध हुई एवं उनके गुणवत्ता में ह्रास के कारण इसके कीमत में गिरावट हो रही थी। इसके अलावा, खनिजों के स्टॉक का लंबे समय तक भंडार, चोरी एवं कमी के लिए अतिसंवेदनशील थे।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि अपलेखन सहित इनके निस्तारीकरण के लिए संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

---

[28] बेंती-बागदा, ज्योतिपहाड़ी, सिरबोई, महुँगाई-तुलबुला, चेलांगी।

[29] बेंती-बागदा (दिसंबर 2010 से जून 2012 के दौरान परिचालित), सेमरा सलातुआ (सितम्बर 2007 से मई 2012), ज्योतिपहाड़ी (मई 2010 से जुलाई 2012) एवं महुँगाई-तुलबुला (मई 2012 से दिसंबर 2012)।

तथ्य यथावत हैं कि कंपनी वन अनापत्ति प्राप्त नहीं कर सकी एवं वन क्षेत्र में खनिजों के स्टॉक को उठाने हेतु अनुमति प्राप्ति के लिए अनुसरण नहीं किया ।

2.26 वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करना और खनिजों में कमी

बि.रा.ख.वि.नि. के निर्णय (मई 1989) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष खानों के स्थलों पर खनिजों के स्टॉक का भौतिक रुप से सत्यापन करना चाहिये और खनिजों के निपटानीय (हैंडलिंग) हानियों के लिये स्वीकार्य सीमा/मानदंड 0.25 से 1.50 प्रतिशत तय की गयी थी। यधपि यह अवलोकित किया गया कि भौतिक सत्यापन समिति द्वारा मई 2010 में खानों के स्थलों पर खनिजों के स्टॉक को अतिंम बार सत्यापित किया गया था और चार खानों के खनिज स्टॉक में व्यापक कमियाँ पायी गयी थी जैसा कि **तालिका-2.4** में चित्रित है।

तालिका - 2.4

परियोजना का नाम	खनिजों का नाम	खाते में दर्ज स्टॉक (एमटी)	सत्यापित स्टॉक (एमटी)	कमी	
				मात्रा (एमटी) (प्रतिशत)	मूल्य ₹ लाख में
महुंगाई-तुलबुला ग्रेफाइट खान	ग्रेफाइट	4577.032	735.545	3841.487 (83.93)	13.83
रंका ग्रेफाइट खान (बंद खान)	ग्रेफाइट	21568.350	6181.086	15387.264 (71.34)	23.08
सेमरा-सलातुआ चूना पत्थर खान	चूना पत्थर	21817.776	1909.700	19908.076 (91.25)	29.86
	मेंगनेटाइट	16858.982	304.330	16554.652 (98.19)	48.01
मानासोती ग्रेफाइट खान	ग्रेफाइट	8870.233	2029.740	6840.493 (77.12)	10.33
कुल		**73692.373**	**11160.401**	**62531.972 (84.86)**	**125.11**

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित आँकड़ें)

मई 2010 में हुये भौतिक सत्यापन में 0.25 से 1.50 प्रतिशत के मानदंडों के विरुद्ध 71.34 से 98.19 प्रतिशत असामान्य कमी का पता चला।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 0.25 से 1.50 प्रतिशत मानदण्डों के विरूद्ध खनिजों के स्टॉक में 71.34 से 98.19 प्रतिशत की असामान्य कमी थी। खनिजों की कुल कमी 62531.972 एमटी थी जिसका मूल्य ₹ 1.25 करोड़[30] था। कंपनी ने असामान्य कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 2009-10 से लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में लेखाबही में कमी का समायोजन प्रतीक्षित था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा कि लम्बे समय तक ढेर रखने और प्रतिकूल मौसमीय प्रभाव के कारण स्टॉक धँस जाता है। हाल के वर्षों में अंतिम

[30] कंपनी द्वारा 2008 के निविदा के लिए निर्धारित सुरक्षित मूल्य के आधार पर।

स्टॉक का सत्यापन वन विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के साथ-साथ स्टॉक पर बढे हुए झाड़ियों के कारण नहीं किया जा सका।

यधपि, तथ्य यथावत है कि कंपनी ने वर्ष 2010 के बाद ना तो भौतिक सत्यपन की थी ना ही मई 2010 में पाये गये भारी कमियों के कारणों की जाँच की थी।

नियत लगान का परिहार्य भुगतान

2.27 खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अनुसार, खनन पट्टा धारक झारखण्ड सरकार को पट्टा क्षेत्र से निकाले गए या उपभोग किए गए खनिजों पर रॉयल्टी या उस क्षेत्र से खनिजों के कम/अनुत्पादन के संबंध में नियत लगान जो भी उच्चतर था, के भुगतान का दायी था।

खानों के परिचालन के लिये वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में विफलता के कारण ₹ 99.83 लाख नियत लगान का परिहार्य भुगतान किया गया।

हमने अवलोकित किया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान, कंपनी के पाँच खानों[31] के संबंध में पट्टे के नवीकरण न होने के कारण खनिजों के अनुत्पादन/कम उत्पादन के कारण ₹ 99.83 लाख का नियत लगान भुगतान किया गया। इसका ₹ 77.76 लाख चंदुला-सिमलगोड़ा के पत्थर खानों से संबंधित था जो 2000 से बंद थी चूंकि इसके पास वन एवं पर्यावरण अनापत्तियाँ नहीं थी जिसके कारण वन विभाग ने खानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यधपि, जनवरी 2012 में पट्टे का नवीकरण की मंजुरी दिया गया है, वन एव पर्यावरण अनापत्तियों के अभाव में लीज डीड का निबंधन नहीं किया गया था।

कंपनी द्वारा वन एवं पर्यावरण अनापत्तियों की प्राप्ति में असफलता के कारण अन्य चार खानों में खनन (मई 2012 से दिसम्बर 2012 के दौरान महुँगाई-तुलबुला ग्रेफाइट खान के अलावा) नहीं किया जा सका, जिसके कारण 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 22.07 लाख का नियत लगान भुगतान किया गया। इस प्रकार, खानों के परिचालन हेतु वैधानिक अनापत्तियों की प्राप्ति में असफलता के कारण कंपनी द्वारा ₹ 99.83 लाख नियत लगान का परिहार्य भुगतान किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया कि नियत लगान का भुगतान सक्रिय (डायनमिक) पूँजीगत व्यय के रूप में किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि नियत लगान का भुगतान राजस्व प्रकृति का है।

तथ्य यथावत है कि वैधानिक अनापत्तियों के अभाव में खानें असंचालित थे और नियत लगान का भुगतान बिना किसी उत्पादन के किया जा रहा था।

2.28 आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियाँ

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में लेखा आंकड़ों की परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए दीर्घ एवं लघु अवधि योजना को विकासित करना, योजनाओं के सामयिक समीक्षायें, प्रत्येक उत्तरदायी क्षेत्र एवं उनके मूल्यांकन के नियंत्रण को परिभाषित करना, प्रणाली के परिकल्पना एवं प्रणाली का समीक्षा और

[31] सलहन, सिरबोई, चन्दुला सिमलगोड़ा, महुँगाई-तुलबुला और मानासोती।

उचित परिचालन तथा लेखा प्रक्रियाएं समाविष्ट होता है। तथापि, कंपनी के आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र में निम्नलिखित कमियां देखी गई:

• कंपनी ने 2009-10 के बाद परियोजना-वार लागत पत्र नहीं बनायी। लागत पत्र के अभाव में, कंपनी लागत प्रभावी रीति से विभिन्न खानों के परिचालन में उपयुक्त निर्णय लेने में असमर्थ थी।

सतर्कता और अनुश्रवण तंत्र एवं व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव था।

• खानों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यचालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी का कोई सतर्कता एवं अनुश्रवण प्रणाली नहीं है।

• कंपनी विभिन्न सूचना/आंकड़ों के संग्रहण, समेकन एवं विश्लेषण हेतु कोई व्यापक प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एमआईएस) नहीं बनायी थी, जिसके अभाव में प्रबंधन, कंपनी के सर्वोत्तम हित एवं उसके लाभकारिता में सुधार करने हेतु निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे।

सरकार ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन को कार्रवाई हेतु नोट किया गया है।

2.28.1 अनुबद्धित संख्या में निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन नहीं होना

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 प्रावधान करता है कि प्रत्येक कंपनी तीन महीने में कम से कम एक निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक का आयोजन करेगी और प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी है। कंपनी ने 2012-13 से 2013-14 के दौरान, आठ बैठकों में से पाँच निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित की और जुन 2013 के बाद कोई भी बैठक आयोजित नहीं किया। नियमित बैठकों के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं हो सका कि निदेशक मंडल कंपनी के गतिविधियों का प्रभावी रुप से अनुश्रवण किये।

2012-13 से 2013-14 के दौरान आठ बैठकों के आवश्यकता के विरूद्ध निदेशक मंडल के मात्र पाँच बैठकें आयोजित की गयी थी।

सरकार ने अवलोकन को स्वीकारा और कहा कि पूर्ण निदेशक मंडल के गठन न होने, मुख्य प्रबंधकीय वैयक्तिक पद रिक्त रहने के कारण, बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

2.28.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक अनिवार्य संघटक है। आंतरिक लेखापरीक्षक आंतरिक नियंत्रक की प्रभावकारिता और सुधारों की अनुशंसा की जाँच करते हैं। कंपनी का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था। कंपनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी अभी तक नही बनायी थी (दिसम्बर 2014)। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के अभाव में, कंपनी ने अपने निगमित कार्यालय एवं परियोजना कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु सांविधिक लेखाकारों को नियुक्त करता है। तथापि, उनके कार्य मुख्यत: लेखाओं के रोकड़ आधार पर नमुना जाँच तक ही सीमित थे। लेखापरीक्षक ने परियोजना-वार लाभप्रदता/ व्यवहार्यता तथा विभिन्न परियोजनाओं में नियुक्त मानवशक्ति के उपयोग की जाँच नहीं किया था।

कम्पनी के स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था और आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी नहीं बनाया गया था।

सरकार ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन को कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया है।

कंपनी को विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्रों एवं प्रबन्ध सूचना प्रणाली को स्थापित एवं सुदढ़ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- कंपनी ने आंवटित कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए निर्धारित माइलस्टोन को प्राप्त नहीं कर सकी, परिणामस्वरूप नौ ब्लॉकों में खनन प्रारंभ नहीं हुआ। इनमें से, आठ कोयला ब्लॉकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किये गये और कंपनी द्वारा इन कोयला ब्लॉको पर किये गये ₹ 18.31 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया;
- कंपनी वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने मे असफल रही जिसके कारण 2012-13 के दौरान चार खनिज खानों में खनन क्रियायें बंद हो गयी, चार अन्य खनिज खानें 14 वर्षो से अधिक समय से अपरिचालित थे;
- 2013-14 के दौरान चेलांगी ग्रेनाइट खान के अलावा कोयला एवं अन्य खनिजों का कोई उत्पादन एवं विक्रय नहीं था;
- निजी संवेदकों द्वारा किये गये चूना पत्थर, ग्रेफाइट एवं कायनाइट के उत्पादन में अनुबंधित मात्रा का 45.90 प्रतिशत से लेकर 86.03 प्रतिशत का सार्थक कमी थी;
- सतर्कता और अनुश्रवण तंत्र एवं व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव था। कंपनी का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था।